संख्या-675/चौवालिस-1/1984

प्रेषक,

श्री आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 1984

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना), नियम-1959 तथा सम्बन्धित नियमावली 1960 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

आपका ध्यान शासनादेश सं0-4954/ब्यूरो/78-31(68)/74, दिनांक 9 फरवरी, 1979 की ओर आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की प्राप्त सूचनानुसार कतिपय उपक्रमों/निगमों द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 तथा संबंधित नियमावली, 1960 में निहित प्राविधानों की अवहेलना की जाती है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में शासन को शिकायतें मिली हैं कि वे प्रायः सीधी भर्ती कर लेते हैं, जबकि इम्प्लामेन्ट एक्सचेन्ज (कम्पलसरी नोटीफिकिशन आफ बैकेन्सीज) ऐक्ट, 1959 के अन्तर्गत इस प्रकार की रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालयों को अधिसूचित करना उनका अनिवार्य दायित्व है। इस प्रकार की अवहेलना को राज्य सरकार गम्भीरता से देखती है और समस्त उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों से अपेक्षा करती है कि भविष्य में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर आने वाली अधीनस्थ, मिनिस्टीरियल तथा निम्नवर्गीय सेवाओं एवं पदों पर चुनाव सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से ही किया जाय।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर आधारित नियुक्तियों के अतिरिक्त जब भी कभी नियुक्तियां की जायं, तो संबंधित नियोजतों

का प्रथम वेतन आहरण करते समय इस बात का प्रमाणन किया जाय कि उसकी नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गयी थी और यदि भर्ती सीधी की तो ऐसा सेवायोजन कार्यालय से "नान एवेलेबिलिटी" प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त किया गया था। इस आदेशों की प्राप्ति भी कृपया स्वीकार किया जाय।

भवदीय,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-675(1)/चौवालिस-1-1984, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-ई-11/13/2 मुरादाबाद/1043, दिनांक 11 मई, 1983 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

(2) श्रम अनुभाग-6।

(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।